पत्रांकः–V/नि0–10–02/2022–

बिहार सरकार

मद्यनिषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग

प्रेषक,

नवीन कुमार, भा०प्र०से०
सरकार के सचिव।

सेवा में,

सभी सहायक निबंधन महानिरीक्षक/सभी उपायुक्त मद्यनिषेध,
सभी जिला अवर निबंधक/सभी सहायक आयुक्त मद्यनिषेध,
सभी अवर निबंधक/सभी संयुक्त अवर निबंधक/सभी अधीक्षक मद्यनिषेध।

पटना, दिनांकः–..............................

विषयः–अवकाश पर प्रस्थान करने के पूर्व विभागीय मुख्यालय से स्वीकृति प्राप्त करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में निदेशित किया जाता है कि विभाग के अधीन बिहार निबंधन सेवा एवं बिहार मद्यनिषेध सेवा के सभी पदाधिकारियों द्वारा किसी भी प्रकार के अवकाश का उपभोग विभागीय मुख्यालय की स्वीकृति के बिना नहीं किया जायेगा। विभाग से स्वीकृति प्राप्त होने के उपरांत संबंधित पदाधिकारी जिला पदाधिकारी से मुख्यालय छोड़ने की अनुमति प्राप्त कर अवकाश पर प्रस्थान करेंगे तथा इसकी सूचना विभागीय मुख्यालय को अनिवार्य रूप से देगें।

किसी भी प्रकार के अवकाश की स्वीकृति ससमय संसूचित किये जाने के लिये अत्यंत विशेष परिस्थिति को छोड़कर कम–से–कम 07 दिन पूर्व विभाग को HRMS के माध्यम से आवेदन उपलब्ध कराया जाय।

इस निदेश का अनिवार्य रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

विश्वासभाजन
ह0/–
(नवीन कुमार)
सरकार के सचिव

ज्ञापांकः–V/नि0–10–02/2022 4384 पटना, दिनांक– 17.7.26

प्रतिलिपिः–माननीय मंत्री के आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव/आयुक्त उत्पाद–सह–निबंधन महानिरीक्षक के प्रधान आप्त सचिव/सभी जिला पदाधिकारी/संयुक्त आयुक्त मद्यनिषेध/उप निबंधन महानिरीक्षक/सभी विभागीय पदाधिकारी/विभागीय आई0टी0 मैनेजर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

16/7/26

सरकार के सचिव